



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102026-276836
CG-DL-E-06102026-276836

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5228]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 5, 2026/आश्विन 13, 1948

No. 5228]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 5, 2026/ASVINA 13, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5438(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार का यह मत है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक अथवा हितकर है तथा केंद्र सरकार, ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, एयर कंडीशनर तथा इसके संबंधित पुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में और संशोधन करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात:-

1. (1) इस आदेश को एयर कंडीशनर और इसके संबंधित पुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. एयर कंडीशनर तथा इसके संबंधित पुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 के पैरा 2 में,-

(क) नौवें परंतुक में, तालिका में, कॉलम (1) की माल या वस्तुएं शीर्षक के तहत, "रेटेड क्षमता का रोटरी हर्मेटिक कंप्रेसर" शब्दों को, "रेटेड क्षमता का स्कॉल या रोटरी हर्मेटिक कंप्रेसर" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) नौवें परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक को अंतर्विष्ट किया जाएगा, नामत:-

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में से कुछ भी, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन उपकरण तथा संबंधित पुर्जों के ऐसे प्रत्येक विनिर्माता द्वारा प्रति वर्ष रखरखाव और बिक्री के लिए घरेलू रूप से विनिर्मित या आयातित 6,000 हर्मेटिक कम्प्रेसर और हीट एक्सचेंजर्स पर लागू नहीं होगा, जो ब्यूरो द्वारा प्रमाणित हैं, या ऐसे विनिर्माता जिन्होंने एयर कंडीशनर और उसके संबंधित पुर्जों, हर्मेटिक कम्प्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2026 के शुरू होने की तारीख से तीन वर्ष तक संबंधित माल और वस्तुओं हेतु प्रमाणन के लिए ब्यूरो में आवेदन किया है, जो इस शर्त के अधीन है कि ऐसे विनिर्माता घरेलू रूप से विनिर्मित या आयातित हर्मेटिक कम्प्रेसर और हीट एक्सचेंजर्स के अपने पुराने स्टॉक की घोषणा करेंगे और ऐसे माल या वस्तुओं का वर्ष-वार रिकॉर्ड रखेंगे तथा ब्यूरो को इस आशय की घोषणा के साथ केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे:

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में से कुछ भी एयर कंडीशनर और उससे संबंधित पुर्जों, हर्मेटिक कम्प्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2026 के शुरू होने की तारीख से पहले ब्यूरो से प्रमाणित विनिर्माता द्वारा घरेलू रूप से विनिर्मित या आयातित माल या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा, या ऐसे विनिर्माता जिन्होंने संबंधित माल और वस्तुओं हेतु प्रमाणन के लिए ब्यूरो में आवेदन किया है और ऐसे विनिर्माता को 30 सितंबर, 2026 तक ऐसे घोषित स्टॉक की बिक्री या बिक्री के लिए प्रदर्शित करने या प्रस्ताव करने की अनुमति दी जाएगी, जो इस शर्त के अधीन होगी कि ऐसा विनिर्माता ब्यूरो को इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करेगा।”

[फा.सं.पी - 29014/63/2017-एलईआई]

डॉ. सुमित कुमार जारंगल, संयुक्त सचिव

नोट:- मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 05 दिसंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या सां.आ. 4354 (अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् इनमें निम्नानुसार संशोधन किया गया:-

1. दिनांक 18 मई, 2020 का सां.आ. 1518(अ);
2. दिनांक 22 दिसंबर, 2020 का सां.आ. 4671(अ);
3. दिनांक 8 दिसंबर, 2021 का सां.आ. 5095(अ);
4. दिनांक 21 दिसंबर, 2022 का सां.आ. 5972(अ);
5. दिनांक 2 जनवरी, 2024 का सां.आ. 32(अ);
6. दिनांक 11 फरवरी, 2025 का सां.आ. 695(अ);
7. दिनांक 22 अप्रैल, 2025 का सां.आ. 1815(अ); तथा
8. दिनांक 8 मई, 2026 का सां.आ. 2324(अ)।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 1st October, 2026

S.O. 5438(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau, hereby makes the following Order further to amend the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Order, 2019, namely:—

1. (1) This Order may be called the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Second Amendment Order, 2026.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Order, 2019, in paragraph 2, —

(a) in the ninth proviso, in the TABLE, under the heading Goods or articles in column (1), for the words “Rotary hermetic compressor of rated capacity”, the words “Scroll or Rotary hermetic compressor of rated capacity” shall be substituted;

(b) after the ninth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

Provided also that nothing in this Order shall apply to up to 6,000 numbers of hermetic compressors and heat exchangers domestically manufactured or imported for maintenance and sales per year by each of the manufacturers of air conditioning and refrigeration equipment and related parts who are certified by the Bureau or manufacturer who has applied to the Bureau for certification for the relevant goods and articles till three years from the date of commencement of the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) **Second Amendment Order, 2026** subject to the condition that such manufacturers shall declare its old stock of hermetic compressors and heat exchangers domestically manufactured or imported and maintain a year-wise record of such goods or articles and furnish the same to the Central Government with a declaration made to this effect to the Bureau:

Provided also that nothing in this Order shall apply to goods or articles domestically manufactured or imported before the date of commencement of the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) **Second Amendment Order, 2026** by the manufacturer certified by the Bureau or manufacturer who has applied to the Bureau for certification for the relevant goods and articles and such manufacturer shall be permitted to sell or display or offer to sell such declared stock up to the **30th September 2026** subject to the condition that such manufacturer shall made a declaration to this effect to the Bureau.”.

[F. No. P-29014/63/2017-LEI]

Dr. SUMEET KUMAR JARANGAL, Jt. Secy.

Note: – The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4354 (E), dated the 5th December, 2019 and subsequently amended as follows: –

1. S.O. 1518 (E), dated the 18th May, 2020;
2. S.O. 4671 (E), dated the 22nd December, 2020;
3. S.O. 5095 (E), dated the 8th December, 2021;
4. S.O. 5972 (E), dated the 21st December, 2022;
5. S.O. 32 (E), dated the 2nd January, 2024;
6. S.O. 695 (E), dated the 11th February, 2025;
7. S.O. 1815 (E), dated the 22nd April, 2025; and
8. S.O. 2324 (E), dated the 8th May, 2026.